कोका -कोला निर्यात निगम

बनाम

आय कर अधिकारी और अन्य

30 मार्च, 1998

[सुजाता वी. मनोहर और डी. पी. वाधवा, न्यायाधिपति]

आयकर अधिनियम, 1961-धारा 147 - पुनः खोलना - मूल्यांकन से बची आय को -एक गैर-निवासी कंपनी का करदाता -प्रो-रेटेड गृह कार्यालय खर्च और सेवा शुल्क अमेरिकी डॉलर में जमा करना -भारत सरकार द्वारा "एफ.ई.आर.ए." के तहत इस तरह के प्रेषण पर सीमा निर्धारित करने वाले पत्र- विदेशी शाखाओं को आयात, लाभ, प्रधान कार्यालय व्यय, सेवा शुल्क जैसी गणनाओं के प्रेषण - कुल निर्यात आय के 80% की सीमा तक अनुमति - जारी किए गए ऐसे पत्रों को अधिनियम की धारा 147 के तहत नोटिस जारी करने का आधार बनाया गया ठहराया गया , ऐसे पत्र कार्यवाही के पुनर्मूल्यांकन के लिए सूचना नहीं बन सकते।

पुनर्मूल्यांकन -आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत सूचना में यह निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या धारा 147 के खंड (ए) या (बी) के तहत कार्रवाई पर विचार किया गया है।

पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही-उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र -इस्तेमाल-उच्च न्यायालय द्वारा ठहराया गया कि भारत केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दो पत्रों के प्रभाव के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए मामले को आई. टी. ओ. के पास छोड़ना न्यायसंगत नहीं है, जिसमें एफ. ई. आर. ए. के तहत प्रेषण पर अधिकतम सीमा रखी गई है।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973-आयकर अधिकारी का अधिकार क्षेत्र-अंतर्निहित कमी -एफ. ई. आर. ए. के तहत लगाए गए प्रतिबंध की -आई. टी. ओ. के पास एफ. ई. आर. ए. के तहत लगाए गए प्रतिबंध के आधार पर प्नर्मूल्यांकन कार्यवाही श्रू करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

अपीलार्थी कोका कोला कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जिसका मुख्य कार्यालय न्यूयॉर्क में है साथ में नई दिल्ली में शाखा कार्यालय जिसे 'गृह कार्यालय' के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसके संचालन के पूरे क्षेत्र को क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ 4 ज़ोन और 14 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और उनके द्वारा किए गए खर्चों को सेवा शुल्क कहा जाता है जो शाखा कार्यालयों द्वारा वहन किए जाते हैं। इस प्रकार गृह कार्यालय के खर्च और सेवा शुल्क हैं जिन्हें विभिन्न शाखाओं में उनके निर्यात के आधार पर आनुपातिक आधार पर वितरित किया जाना है और जिन्हें अमेरिकी डॉलर में पूरा किया जाता है। आकलन वर्षों 1967-68, 1968-69 से 1973-74 के लिए आय-कर अधिकारी ने दावे की फिर से जांच की और मुख्य कार्यालय के खर्चों

के 5 प्रतिशत की और सेवा श्ल्क का 3 प्रतिशत की अन्मति नहीं दी। इसके बाद, 05.01.1979 को आई. टी. ओ. ने दो आधारों पर प्नर्मूल्यांकन के लिए धारा 148 के तहत नोटिस जारी किया। पहला आधार यह था कि नियमित मुल्यांकन में, वर्ष के अंत में तत्कालीन विनिमय दर पर बकाया डॉलर देनदारी को भारतीय रुपये में पुनः अनुवादित करने के परिणामस्वरूप विनिमय पर अनुमानित हानि को गलत तरीके से अनुमति दी गई है। इस आधार पर पुनः अनुवाद द्वारा विनिमय पर नुकसान पर अपीलार्थियों का दावा जिसे हालांकि आई. टी. ओ. द्वारा अस्वीकृत किया गया था, लेकिन आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा इसकी अनुमति दी गई थी। राजस्व द्वारा अपील और संदर्भ के माध्यम से की गई आगे की कार्यवाही में राजस्व के खिलाफ निर्णय लिया। इसलिए, मुल्यांकन विषय पर समान तथ्यों और कान्न के आधार पर संपन्न ह्आ। इसे फिर से नहीं खोला जाएगा क्योंकि निष्कर्षित मूल्यांकन को फिर से खोलने के लिए कोई शर्त आवश्यक नहीं थी।

दूसरा आधार सरकार द्वारा जारी पत्रों पर आधारित था, जिसमें कुल निर्यात आय के 80% की सीमा तक भत्ता प्रेषण सुविधाओं की सीमा निर्धारित की गई थी, जो कि एफ. ई. आर. ए. के प्रावधानों के तहत नियंत्रित थी। इसके अलावा, यह उल्लेख करना उचित है कि उन वर्षों के लिए मूल्यांकन पहले ही पूरा कर लिया गया था जिनके लिए उक्त दो पत्रों के आधार पर अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी किए गए थे।

उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिसों को रद्द कर दिया जिसके खिलाफ राजस्व ने विशेष अनुमित याचिका दायर की जिसे इस न्यायालय ने खारिज कर दिया।

हालाँकि, अपीलकर्ताओं ने दो पत्रों के आधार पर आईटीओ द्वारा की जा रही जांच को रद्द करने और पूर्व-खाली करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए यह जांच आईटीओ पर छोड़ दी कि क्या जो कटौती की अनुमित दी गई थी, वह उक्त दो पत्रों द्वारा तय सीमा से अधिक थी या नहीं, वैद्य थीं या नहीं।

इस अपील में यह तर्क दिया गया था कि उच्च न्यायालय ने इसे आई. टी. ओ. के लिए निर्णय पर छोड़ने में गलती की थी और उच्च न्यायालय की ओर से अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफलता थी जो उसके पास स्पष्ट रूप से था।

इस अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया-

1. केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दो पत्रों द्वारा अपीलार्थी द्वारा विदेश में भेजे जाने वाले विदेशी धन के आधार पर लगाया गया प्रतिबंध का आयकर अधिनियम के तहत भत्ते की राशि से कोई लेना-देना नहीं है। यदि इन पत्रों का कोई उल्लंघन होता है, तो यह रिजर्व बैंक या केंद्र सरकार पर होगा कि वह कार्रवाई करे या एफ. ई. आर. ए. के तहत दी गई अनुमति दे।

हालाँकि, यह आई. टी. ओ. के लिए आधार नहीं हो सकता है कि धारा 147 के तहत पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने का अधिकार क्षेत्र ग्रहण करें। इसलिए ये पत्र पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं और मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने के लिए आईटीओ को जानकारी के रूप में संबंधित नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 147 के खंड (ए) या खंड (बी) के तहत अपीलार्थी की किसी भी आयनिर्धारण से बचने के आधार पर धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने के लिए आयकर अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में अंतर्निहित कमी थी इसलिए अधिनियम की धारा 148 के तहत सभी नोटिसों को रद्द कर दिया जाता है। [541 - जी-एच; 542-ए]

- 2. एक सरकारी निर्णय अलग से बाद की एक तारीख किसी दूसरे विभाग द्वारा किसी अलग कानून के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्पन्न, का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता पहले से ही पूर्ण हुए मूल्यांकन को फिर से खोलने के लिए इस आधार पर कि यह "आयकर अधिकारी के कब्जे में जानकारी के परिणामस्वरूप" है। [539 सी]
- 3. उच्च न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करने में गलती की आयकर अधिकारी के साथ मामले को छोड़ कर। उच्च न्यायालय को इस बात की जांच करनी थी कि क्या आयकर अधिकारी को अधिनियम की धारा 147 के प्रावधानों को सही ढंग से लागू करने का अधिकार क्षेत्र है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए इन दो पत्रों में उसे पुनर्मूल्यांकन

की कार्यवाही शुरू करने के लिए सामग्री प्रदान की गई थी और क्या ये जानकारी उसे यह विश्वास करने का कारण देती है कि कर योग्य आय निर्धारण से बच गई थी। [541 - डी]

4. आय-कर की धारा 148 के तहत पुनर्मूल्यांकन की सूचना अधिनियम की यह निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या अधिनियम की धारा 147 के खंड (ए) या (बी) के तहत कार्रवाई पर विचार किया गया है। [542 - सी]

कांतमणि वेंकट नारायण एंड संस बनाम प्रथम अतिरिक्त आय कर अधिकारी, (1967) 63 आई. टी. आर. 638 पर निर्भर।

कलकत्ता डिस्काउंट कं. लिमिटेड बनाम आई. टी. ओ., कं. जिला। , -आई 3 कलकत्ता और अन्य, (1961) 41 आई. टी. आर. 191, उद्धृत।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 4074/1985 आदि ।

दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 18.12.84 निर्णय और आदेश से जो कि सी. डब्ल्यू. पी. सं. 1568 /1982 में पारित किया गया।

एच. एन. साल्वे, एस. गणेश और श्रीमती ए. के. वर्मा, अपीलार्थी मेसर्स जे. बी. डी. एंड कंपनी के लिए ।

टी. एल. वी. अय्यर, टी. सी. शर्मा, सुश्री नीलम शर्मा और बी. के. प्रसाद उत्तरदाता के लिए। न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया-

डी. पी. वाधवा, न्यायाधिपति

ये अपीलें दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा रिट याचिकाओं को खारिज करने के 18 दिसंबर, 1984 के फैसले से हैं जिसमे विभिन्न मूल्यांकन वर्षों के लिए अपीलार्थी की रिट याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया गया था। इन रिट याचिकाओं में, अपीलकर्ता ने आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में, 'अधिनियम') की धारा 148 के तहत जारी नोटिस को चुनौती दी थी। सिविल अपील 4074/85 निर्धारण वर्ष 1969-70 से संबंधित है और सीएएस 4075/85 और 4076/85 क्रमशः निर्धारण वर्ष 1967-68 और 1968-69 से संबंधित है। सिविल अपील 1089/85 3 मूल्यांकन वर्षों - 1971-72, 1972-73 और 1973-74 से संबंधित है। निर्धारण वर्ष 1970-71 के लिए, दो अपीलें हैं और ये सीएएस 1090/95 और 1091/85 हैं। जबकि प्रत्येक मूल्यांकन वर्ष के लिए उच्च न्यायालय में अलग-अलग रिट याचिकाएँ थीं, मुल्यांकन वर्ष 1970-71 के लिए, वहाँ दो थीं। निर्धारण वर्ष 1970-71 के लिए दो रिट याचिकाओं का कारण यह था कि पहली रिट याचिका ने अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस को चुनौती दी थी, दूसरी दायर की गई थी क्योंकि उस समय तक आयकर अधिकारी ने मूल्यांकन पूरा कर लिया था और इस प्रकार, मूल्यांकन के लिए ही एक चुनौती।

अपीलकर्ता कोका-कोला कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनों के तहत निगमित कंपनी है जिसका म्ख्यालय अटलांटा, जॉर्जिया में है। यू.एस.ए. अपीलकर्ता का म्ख्य कार्यालय न्यूयॉर्क में है जिसे "गृह कार्यालय" कहा जाता है। अपीलकर्ता का नई दिल्ली में एक शाखा कार्यालय था जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अधिनियम की धारा 2(17)(iv) के तहत एक कंपनी घोषित किया गया था। वर्ष 1958 में स्थापित होने के बाद से भारत में एक अनिवासी कंपनी के रूप में इसका आयकर मूल्यांकन किया जा रहा है। कोका-कोला कंपनी, होल्डिंग कंपनी, कोका-कोला के निर्माण के लिए '7X' जैसी कुछ बुनियादी सामग्री बनाती है। यू.एस.ए. और लंदन में इसके कारखानों में कॉन्सन्ट्रेट और अन्य पेय पदार्थ आधार हैं। इन ब्नियादी सामग्रियों को होल्डिंग कंपनी द्वारा विशेष रूप से भारत सहित विभिन्न देशों में फैली 23 शाखाओं के लिए कोका-कोला कॉन्संट्रेट और पेय पदार्थों के आधार के निर्माण के लिए अपीलकर्ता को बेचा जाता है।

प्रशासनिक सुविधा के लिए अपीलभूमि के संचालन के पूरे क्षेत्र को चार ज़ोन और 14 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। क्षेत्रीय कार्यालय भारतीय शाखा सिहत अपीलार्थी की विभिन्न शाखाएँ विभिन्न देशों को अपने उत्पादों का निर्यात करती हैं और उन आवश्यक सेवाओं के लिए जो ज़रूरी हैं, जिला और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रदान की जाती हैं। शाखा कार्यालयों में अपने उत्पादों के खरीदारों को सेवा प्रदान करने के लिए कोई कर्मचारी या कोई अन्य व्यवस्था नहीं है। इन जिला और क्षेत्रीय कार्यालयों की उनकी अपनी कोई आय नहीं है और उनके द्वारा किए जाने वाले खर्चों को सेवा श्लक कहा जाता है और अपीलार्थी की विभिन्न शाखाओं द्वारा वहन किया जाता है। इस प्रकार गृह कार्यालय के खर्च और ज़ोनल और क्षेत्र कार्यालयों और जिला और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सेवा शुल्क भी होते हैं। लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अन्सार, इन्हें विभिन्न शाखाओं में उनके निर्यात के आधार पर आनुपातिक आधार पर वितरित किया जाता है और शाखाओं द्वारा अमेरिकी डॉलर में पूरा किया जाता है। भारतीय शाखा मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर में आन्पातिक गृह कार्यालय व्यय और सेवा श्ल्क के भ्गतान के लिए अपनी देनदारी के संबंध में खाते रखती है क्योंकि देनदारी का भ्गतान केवल अमेरिकी डॉलर में किया जाना है। साथ ही भारतीय शाखा इन देनदारियों के संबंध में रुपये में खाते भी रखती है क्योंकि इसके द्वारा चलाए जाने वाले व्यवसाय के खाते आम तौर पर रुपये में होते हैं। यह कहा गया है कि गृह कार्यालय के खर्चों और सेवा श्ल्कों की अन्कूल मूल्यांकन की इस प्रथा का पालन विभिन्न देशों में शाखाओं वाली बह्राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया जाता है और यह एक अंतरराष्ट्रीय स्वीकृत प्रथा है।

आय-कर अधिकारी ने भारतीय शाखा द्वारा अपनाई जाने वाली प्रणाली को स्वीकार किया। मूल्यांकन वर्षीं 1959-60 से 1966-67 के लिए गृह कार्यालय के खर्चों और सेवा श्ल्कों की अन्कूल मूल्यांकन के लिए शाखा। मूल्यांकन वर्ष 1967-68 के लिए आय-कर अधिकारी ने भारतीय शाखा के प्रो-रेटेड गृह कार्यालय खर्चों और सेवा श्ल्कों की कटौती बाबत दावे की नए सिरे से जांच की । आय कर अधिकारी ने विविध खर्चों के विवरण पर विचार किया, जिसमें उनके अनुसार अधिनियम के तहत अस्वीकृत खर्च शामिल होने की संभावना थी और भारतीय शाखा द्वारा प्रस्त्त विवरणों को देखने के बाद, आयकर विभाग अधिकारी ने प्रो-रेटेड गृह कार्यालय के खर्चीं में से 5 प्रतिशत की और उस वर्ष प्रो-रेटेड सेवा श्ल्क के 3 प्रतिशत की अन्मति नहीं दी। इस प्रकार की गई कटौती की अस्वीकृति से अपीलार्थी ने व्यथित हो कर अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष एक अपील को प्राथमिकता दी। तथापि अपील बर्खास्त कर दी गई । निर्धारण वर्ष 1968-69 से 1973-74 के आंकलन में प्रो-रेटेड गृह कार्यालय व्यय में से 5 प्रतिशत और आन्पातिक सेवा श्ल्क में से 3 प्रतिशत की अस्वीकृति की स्थिति भी ऐसी ही थी। मूल्यांकन वर्ष 1970-71 में आयकर अधिकारी द्वारा आन्पातिक गृह कार्यालय व्यय और आन्पातिक सेवा श्ल्क की कटौती के संबंध में प्रश्न की फिर से नए सिरे से और विस्तार से जांच की गई और उन्होंने भी 5 प्रतिशत और 3 प्रतिशत क्रमशः पिछले वर्षों की तरह गृह कार्यालय व्यय और सेवा श्लक की अन्मति नहीं दी।

5 जनवरी, 1979 को आयकर अधिकारी ने अलग-अलग नोटिस जारी किए अधिनियम की धारा 148 के तहत अपीलार्थी को मूल्यांकन को फिर से खोलने के लिए अधिनियम की धारा 147 (ए) के तहत मूल्यांकन वर्षों 1971-72,1972-73 और 1973-74 के लिए। मूल्यांकन को फिर से खोलने के लिए चर्चाओं को दर्ज करने के बाद आयकर अधिकारी ने कहा "यह मानने के कारण हैं कि वर्ष के लिए अपने मूल्यांकन के लिए आवश्यक सभी भौतिक तथ्यों को पूरी तरह से और सही मायने में प्रकट करने में करदाता की विफलता या चूक के कारण, उसकी कर योग्य आय मूल्यांकन से बच गई है"। मूल्यांकन वर्षों 1971-72 और 1973-74 के लिए मूल्यांकन को फिर से खोलने के दो आधारों का उल्लेख किया गया है जबिक वर्ष 1972-73 के लिए केवल दूसरे आधार का उल्लेख किया गया। आधार थे:

1. लेखांकन की एक व्यापारिक प्रणाली में, जब भी आय या व्यय अर्जित होता है तो राजस्व खाते को क्रेडिट या डेबिट करने के लिए खुला होता है, इस तथ्य के बावजूद कि ऐसी आय या व्यय वास्तव में लेखांकन अविध के दौरान प्राप्त/भुगतान किया गया है या नहीं। लेकिन एक बार जब राजस्व खाते को प्रोद्भवन के आधार पर डेबिट या क्रेडिट कर दिया जाता है, तो उसके बाद का समायोजन केवल तभी किया जा सकता है, जब प्रोद्भवन के आधार पर आय या व्यय वास्तव में प्राप्त या भुगतान किया जाता है। विनिमय दर में हर उतार-चढ़ाव के साथ आय या व्यय के संबंध में बार-बार समायोजन

करना व्यापारिक सिद्धांत का अत्याधिक दवाब बनाना है और शुद्ध रूप से लाभ या हानि का लेखांकन करना है। नियमित मूल्यांकन में विनिमय की तत्कालीन प्रचलित दर पर वर्ष के अंत में बकाया डॉलर देनदारी को भारतीय रुपये में पुनः परिवर्तित करने के परिणामस्वरूप विनिमय पर होने वाली अनुमानित हानि को गलत तरीके से अनुमति दी गई है। केवल वास्तविक हानि या विदेशी मुद्रा प्रेषण की अनुमति दी जानी चाहिए।

- 2. नियमित मूल्यांकन में आयकर अधिकारी ने गलत तरीके से गृह कार्यालय के खर्चों और सेवाओं के शुल्क में अतिरिक्त कटौती की अनुमित दी। जो कटौती स्वीकार्य थी, उसे भारत सरकार, आर्थिक मामलों के विभाग के 4 मई, 1973 और 6 नवंबर, 1974 के पत्रों में निर्धारिती को उल्लिखित सीमा मूल्यांकन वर्ष 1972-73 के लिए केवल आधार तक ही अनुमित दी जा सकती थी।
- (2) गृह कार्यालय व्यय और सेवा शुल्क की कटौती की अतिरिक्त छूट के मूल्यांकन को फिर से खोलने के लिए ऊपर उल्लेख किया गया था। इस आधार को विदेशी मुद्रा हानि के रूप में दर्ज नहीं किया गया था, लेकिन उस वर्ष दावा किया गया था या अन्मित दी गई थी।

मूल्यांकन वर्ष 1967-68 से 1969-79 पुनः मूल्यांकन कार्यवाही शुरू की गई अधिनियम की धारा 147 (ए) के तहत और सभी दिनांकित 24 फरवरी, 1982 नोटिस को निर्धारिती को जारी किया गया था। इन वर्षों के लिए

आयकर अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए कारण संबंधित लेखा वर्ष के अंत में बकाया डॉलर देयता के पुनः अनुवाद पर अपीलार्थी द्वारा दर्ज विदेशी मुद्रा हानि का भत्ता विनिमय की तत्कालीन प्रचलित दर पर समान थे।

गृह कार्यालय के खर्चों और सेवा शुल्क की कटौती से संबंधित दूसरा आधार इन तीन वर्षों के लिए स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं किया गया था क्योंकि भारत सरकार (कंपनी मामलों के मंत्रालय) के पत्र ऊपर निर्दिष्ट, 1 जनवरी, 1969 को और उसके बाद की अविध से संबंधित थे। वास्तव में मूल्यांकन वर्ष 1966-67 से 1969-70 के लिए नियमित मूल्यांकन में अपीलकर्ता द्वारा दावा की गई और आयकर अधिकारी द्वारा अनुमत दर के विनिमय पर हानि यूएस की वास्तविक खरीद और प्रेषण के कारण हुई थी। उस वर्ष डॉलर वर्ष 1968 (आकलन वर्ष 1969-70 के लिए पिछला वर्ष) के दौरान विनिमय दरों में कोई उतार-चढ़ाव नहीं हुआ था, वर्ष के अंत में डॉलर देनदारी के पुन: अनुवाद के कारण विनिमय पर कोई हानि का दावा नहीं किया गया था।

6 जून, 1966 को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये का अवमूल्यन हुआ। क्योंकि समायोजन पहले तब के संदर्भ में किया गया था विदेशी मुद्रा दरों को अपीलार्थी ने 1966 के बाद विदेशी मुद्रा के संदर्भ में दायित्व का पुनः अनुवाद किया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अपीलार्थी के खाते का समापन वर्ष दिसंबर था।

अपीलार्थी के द्वारा मूल्यांकन वर्ष के लिए 1970-71 द दायर दो रिट याचिकाएँ को उच्च न्यायालय ने लापरवाही के आधार पर खारिज कर दिया था क्योंकि अधिनियम की धारा 148 के तहत जारी किए गए नोटिस को वर्ष 1979 में चुनौती दी जा रही थी। उच्च न्यायालय ने यह भी देखा कि प्नर्मूल्यांकन किया गया था और अपीलार्थी ने पहले ही अधिनियम के तहत अपील के उपाय का लाभ उठाया था। श्रीमान साल्वे, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्त्त किया कि अपीलें लंबित थीं मूल्यांकन वर्षीं 1970-71 के लिए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष और वर्तमान अपील को 85 और 1091/85, मूल्यांकन वर्षों 1970-71 से संबंधित है और वह चाहता है अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए तय करने को सभी प्रश्नों को ख्ला छोड़ कर इसे वापस ले लेंगे। इसलिए, हमें इनमें विवाद के ग्ण-दोष में जाने की आवश्यकता नहीं है दो अपीलों में और, जैसा कि प्रार्थना की गई थी, उसी को वापस लेने के रूप में ,खारिज कर देंगे।

उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिसों को रद्द कर दिया सभी छह वर्ष (मूल्यांकन वर्ष 1967-68 से 1969-70 और 1971-72 से 1973 -74) जहाँ तक वे पहले आधार पर आधारित थे, अर्थात , विदेशी मुद्रा हानि की गलत तरीके से कटौती । उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला की आयकर अधिकारी इस बिंदु पर मूल्यांकन को फिर से खोलने की मांग की थी जो पहले ही निर्णित हो चुका था और उस शर्त को पूर्ववर्ती माना कि अधिनियम की धारा 147 (ए) के तहत पुनर्मूल्यांकन पूर्ण थे। उच्च न्यायालय ने देखा कि इस प्रथम आधार पर रिकॉर्ड से पता चलेगा कि मूल्यांकन को फिर से खोलने में आयकर अधिकारी वास्तव में उस मुद्दे को फिर से खोलने की कोशिश कर रहा था जो मूल्यांकन वर्ष 1967- 68 के लिए मूल्यांकन कार्यवाही का विषय था, जिसमें अपीलीय न्यायाधिकरण के स्तर तक राजस्व के विरुद्ध निर्णय दिया गया था और यहां तक कि अधिनियम की धारा 256(2) के तहत संदर्भ को उच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। राजस्व ने मामले को आगे स्प्रीम कोर्ट तक नहीं पह्ंचाया। मूल्यांकन वर्ष 1967-68 में अपीलकर्ता ने अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में प्न: अन्वाद द्वारा विनिमय पर घाटे का दावा किया था, जिसे हालांकि आयकर अधिकारी ने अस्वीकार कर दिया था, लेकिन आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने इसकी अनुमति दे दी थी। अपील और संदर्भ के माध्यम से राजस्व द्वारा की गई आगे की कार्यवाही का निर्णय राजस्व के विपक्ष में किया गया। मूल्यांकन, जिसमें इस विषय पर समान तथ्यों और कानून पर निष्कर्ष निकाला था, को दोबारा नहीं खोला जाएगा क्योंकि निष्कर्ष निकाले गए मूल्यांकन को फिर से खोलने के लिए कोई शर्त मौजूद नहीं है। मूल्यांकन वर्ष 1967-68 का मूल्यांकन अंतिम हो जाने के बाद आयकर अधिकारी ने बाद के वर्षों के लिए विनिमय पर हानि की अनुमति देना जारी रखा। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह स्पष्ट है कि आयकर अधिकारी को अपीलकर्ता द्वारा अपनाई जाने वाली लेखांकन की विशेष प्रणाली के बारे में पूरी जानकारी थी। प्रथम आधार पर धारा 148 के तहत जारी किए गए नोटिसों पर सवाल उठाते समय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अन्य कारणों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है क्योंकि हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय के फैसले के इस भाग के खिलाफ राजस्व विशेष अन्मति के रूप में इस न्यायालय में आया था। याचिका, जिसे ख़ारिज कर दिया गया। तथापि ये आश्चर्य की बात है कि इस तथ्य के बावजूद कि एकमात्र प्रथम आधार आयकर अधिकारी द्वारा मूल्यांकन वर्ष 1967-68 से 1969-70 के लिए मूल्यांकन को फिर से खोलने के लिए दिया गया था और अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस दिए गए नोटिसों को उच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया था लेकिन फिर भी इन तीन वर्षों से संबंधित रिट याचिकाएं खारिज कर दी गईं। इस तथ्य को उच्च न्यायालय के ध्यान में लाए जाने के बावजूद कि समीक्षा याचिकाओं में जो अपीलकर्ता द्वारा जबरदस्ती दायर की गईं अपीलकर्ता ने अपील दायर की थी इन तीन मूल्यांकन वर्षों के संबंध में भी।

इस स्तर पर दो पत्रों को उल्लेख करना उचित है, 4 मई 1973 और दिनांक 6 नवंबर 1974 आर्थिक मामलों के विभाग को निम्नानुसार:

" नई दिल्ली - 4.5.1973

मैसर्स कोका-कोला निर्यात निगम,

14 - ए, निजामुद्दीन पश्चिम, नई दिल्ली-13.

सज्जनोंः

कृपया सरकार को संबोधित आपके विभिन्न पत्रों और दिसंबर, 1969 और उसके बाद के वर्ष के लिए लंबित लाभ, प्रधान कार्यालय व्यय आदि को विदेश में भेजने की अनुमित के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को किए गए आवेदनों का संदर्भ लें।

- 2. सरकार ने बीते समय में आपके निगम को प्रदान की गई विभिन्न गणनाओं पर प्रेषण सुविधाओं की समीक्षा की है और निर्णय लिया है, आपकी लिखित स्वीकृति के अधीन, कि आपके निगम को प्रेषण सुविधाएं जारी रखना अब निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा: -
- (ए) वर्ष 1969 से मार्च, 72 के अंत तक प्रेषण सुविधाएँ, सभी मामलों में (आयात, लाभ, मुख्य कार्यालय व्यय, सेवा शुल्क, विदेशी शाखाओं आदि को) कोका-कोला निर्यात की भारतीय शाखा निगम को इन वर्षों के दौरान कुल निर्यात आय के 80 प्रतिशत पर अनुमित दी जाएगी।
- (बी) अप्रैल 72 से, ऊपर पैरा (ए) में बताए अनुसार सभी मामलों में प्रेषण सुविधाओं को कंपनी के स्वयं के उत्पादन की वस्तुओं सिहत निर्यात के 80% की सीमा तक अनुमित दी जाएगी।

- (सी) आयात जैसा तत्वों का ऊपर उल्लेख किया आयात में न केवल वास्तविक उपयोगकर्ता लाइसेंस के विरुद्ध आयात शामिल होगा बल्कि पुनःपूर्ति और सी.जी. लाइसेंस भी शामिल होगा।
- (डी) प्रेषण सुविधाओं की गणना नकद आधार पर की जाएगी। प्रत्येक वर्ष प्रेषण की गणना के लिए, निर्यात के मूल्य का लेखांकन यह उपार्जित आधार के बजाय नकद आधार पर होगा।
- (ई) यदि एक कैलेंडर वर्ष के अंत में कंपनी के पास गणना की गई कुछ अप्रयुक्त प्रेषण पात्रता बची है उपरोक्त (ए) और (बी) के अनुसार तो इसे अगले वर्ष के संबंध में कंपनी की पात्रता में जोड़ा जाएगा।
- 3. सेवा शुल्क के संबंध में, आपके विदेश की शाखाओं को देय राशि अपने क्षेत्रों में आपके संकेन्द्रित माल के निर्यात के संबंध में एक स्वतंत्र सीमा के अधीन होगा जिसे आपको अलग से सूचित किया जाएगा।
- 4. कृपया रसीद स्वीकार करें और हमें अपनी पुष्टि प्रदान करें जैसा ऊपर पूछा गया।

भवदीय

एस. डी/- राज के. निगम

निदेशक (निवेश)

नई दिल्ली, 6 नवंबर, 1974"

कोका-कोला निर्यात निगम,

14 , निजामुद्दीन पश्चिम,

नई दिल्ली-110013।

विषय: लाभ, मुख्य कार्यालय के खर्चीं ,सेवा शुल्क आदि के कारण आपका प्रेषण।

सज्जनों,

कृपया उपरोक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 4 मई, 1973 के समसंख्यक पत्र का संदर्भ लें। उस पत्र के पैरा 3 में यह उल्लेख किया गया था कि आपके द्वारा अपनी अन्य विदेशी शाखाओं को उनके क्षेत्रों में संकेंद्रित वस्तुओं के निर्यात के संबंध में सेवा शुल्क का प्रेषण एक स्वतंत्र सीमा के अधीन होगा। मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि इस मामले पर सरकार द्वारा विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि इन सेवा शुल्कों के प्रेषण की अनुमित निम्निलिखित नियमों और शर्तों पर दी जाएगी: -

(i) 1.1.1969 से, कोका-कोला एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन की भारतीय शाखा द्वारा कॉरपोरेशन की अन्य विदेशी शाखाओं को सेवा शुल्क का प्रेषण निर्यात से होने वाली आय के 10% की स्वतंत्र सीमा के अधीन होगा। निगम की उक्त अन्य विदेशी शाखाओं के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। ये प्रेषण सभी मामलों में

भारतीय शाखा के प्रेषण पर लागू निर्यात आय के 80% की समग्र सीमा के भीतर होंगे (जैसा कि इस मंत्रालय के दिनांक 4.5.1973 के पत्र में बताया गया है)।

- (i) 1.1.1969 से, कोका-कोला एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन की भारतीय शाखा द्वारा कॉरपोरेशन की अन्य विदेशी शाखाओं को सेवा शुल्क का प्रेषण संकेंद्रित वस्तुओं के निर्यात से होने वाली आय के 10% की स्वतंत्र सीमा के अधीन होगा जो आय संकेंद्रित वस्तुओं के निगम की बताई गईं अन्य विदेशी शखाओं के इलाकों को निर्यात से की जाती हैं । निगम की उक्त अन्य विदेशी शाखाओं के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। ये प्रेषण सभी मामलों में भारतीय शाखा के प्रेषण पर लागू निर्यात आय के 80% की समग्र सीमा के भीतर होंगे (जैसा कि इस मंत्रालय के दिनांक 4.5.1973 के पत्र में बताया गया है)।
- (ii) निर्यात मूल्य निर्धारित करने के लिए पुनःपूर्ति और नकद सहायता के लिए समायोजित की जाने वाली राशि में अन्य निर्यातों के संबंध में अपनाई गई सामान्य नीति का पालन किया गया।
- (iii) सेवा शुल्क के कारण प्रेषण का दावा करते समय कोका-कोला एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन की भारतीय शाखा को इस का प्रभावी संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए कि भारतीय शाखा को दी गई सेवा लागत भारतीय शाखा और अन्य सभी संबंधित संस्थाओं के बीच कुल लागत के समान वितरण के आधार

पर निकाली गई है। सांद्रण आयात करने वाली शाखा और अन्य आपूर्ति कार्यालय(एक या अधिक)यदि कोई हो ।

आपकी कंपनी को सभी मामलों में दी गई प्रेषण सुविधा समय-समय पर समीक्षा के अधीन है।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति की सूचना दें।

आपका विश्वसनीय

एस. डी/- (डी. एन. भार्गव)

उप सचिव। भारत सरकार।"

मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन को फिर से खोलने का दूसरा आधार वर्ष 1971-72,1972-73 और 1973-74 भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के 4 मई, 1973 और 6 नवंबर, 1974 के ये दो पत्र हैं, जिनमें कथित तौर पर गृह कार्यालय के खर्चों और सेवा शुल्कों के कारण प्रेषण पर सीमा निर्धारित की गई है जब मूल्यांकन आदेशों में इन दोनों मामलों में इन दोनों पत्रों द्वारा दी गई अनुमित से अधिक कटौती की अनुमित दी गई थी। इस प्रकार यह राजस्व का दावा है कि मुख्य कार्यालय के खर्चों और सेवा शुल्कों की अधिक कटौती के कारण उस हद तक आय मूल्यांकन से बच गई है। अगर हम इन दो पत्रों को देखें तो ऐसा प्रतीत होता

है कि आयकर अधिकारी के लिए मूल्यांकन को फिर से खोलने का कोई आधार नहीं है। 4 मई, 1973 के पत्र के पैरा 2 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकार ने पूर्व में अपीलार्थी को दी जाने वाली विभिन्न मामलों पर प्रेषण स्विधाओं की समीक्षा की थी और इस विषय पर निर्णय लिया था। अपीलार्थी की लिखित स्वीकृति के लिए कि अपीलार्थी को प्रेषण स्विधाओं का जारी रहना अब पैरा में निर्धारित शर्तों के अधीन होगा। इस पत्र के पैरा 2 के उप-पैरा (डी) में यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक वर्ष प्रेषण की गणना, निर्यात के मूल्य का लेखांकन उपार्जित आधार के बजाय नकद आधार पर हो। पत्र का पैरा 3 सेवा को संदर्भित करता है और यह कहा गया है कि अपीलार्थी द्वारा अपनी विदेशी शाखाओं को अपने क्षेत्रों में संकेन्द्रित वस्त्ओं के निर्यात के संबंध में देय राशि एक स्वतंत्र सीमा के अधीन होगी जिसे अपीलार्थी को अलग से सूचित किया जाएगा। 4 मई, 1973 के पहले के पत्र के 6 नवंबर, 1974 के पत्र के पैरा 3 द्वारा समझाया गया है और सेवा श्ल्क के प्रेषण की अनुमति कैसे दी जाएगी, इस बारे में सरकार के निर्णय को अपीलार्थी को सूचित किया गया था।

यह देखा जा सकता है कि मूल्यांकन वर्षों के लिए आंकलन 1971-72, 1972-73 और 1973-74 क्रमशः 23 जनवरी, 1973,12 मार्च, 1973 और 8 सितंबर, 1973 को पूरे किए गए थे, जबिक अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस 5 जनवरी, 1979 को जारी किए गए थे। इसकी सराहना करना

मुश्किल है कि कैसे अलग कानून के तहत शक्तियों का प्रयोग करने वाले एक अलग विभाग से उत्पन्न होने वाली बाद की तारीख के सरकारी निर्णय का उपयोग पहले से ही पूर्ण मूल्यांकन को इस आधार पर फिर से खोलने के लिए नहीं किया जा सकता है कि यह उसके (आय-कर अधिकारी) कब्जे में सूचना के परिणामस्वरूप" है।

उपरोक्त बताए गए प्रेषण की राशि पर दो पत्रों दवारा प्रतिबंध लगाया जाता है । यह प्रतिबंध किसी भी मामले में विदेशी विनियमन अधिनियम, 1947 (1 जनवरी, 1974 से विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के रूप में निरस्त और प्नः अधिनियमित)। 1973 के अधिनियम (1947 अधिनियम की धारा 5) की धारा 9 में यह प्रावधान है कि उप धारा 9 की इस उप-धारा (i) के प्रावधानों से किसी भी सामान्य या विशेष छूट के अलावा जो रिजर्व बैंक द्वारा सशर्त या बिना शर्त दी जा सकती है, भारत में कोई भी व्यक्ति या निवासी भारत के बाहर रहने वाले किसी भी व्यक्ति को या उसके क्रेडिट के लिए भ्गतान नहीं कर सकता है। यह धारा भारत के बाहर रहने वाले किसी भी व्यक्ति को या उसके ऋण के लिए कोई भी भुगतान करने के लिए प्रतिबंध लगाती है, सिवाय इसके कि रिजर्व बैंक द्वारा अन्मति दी जाए। उच्च न्यायालय ने देखा है कि यह स्पष्ट था कि इसके अनुसरण में भारत सरकार द्वारा 4 मई, 1973 को अपीलार्थी को यह सूचित करते हुए पत्र लिखा गया था कि विदेश में लाभ भेजने की अनुमति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक

को किए गए उसके आवेदन के अन्सरण में म्ख्य कार्यालय के खर्च आदि दिसंबर, 1969 को समाप्त ह्ए वर्ष और उसके बाद के लिए लंबित सरकार ने अपीलार्थी को प्रदान की गई विभिन्न मामलों पर प्रेषण स्विधाओं की समीक्षा की है और निर्णय लिया है कि अपीलार्थी द्वारा लिखित रूप में स्वीकृति के अधीन, अपीलार्थी को प्रेषण स्विधाओं का जारी रहना उस पत्र में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगा। पत्र में निर्यात आय के 80 प्रतिशत की कुल सीमा के भीतर प्रेषण की अन्मति दी गई है। , इसलिए, मूल्यांकन को फिर से खोलने के लिए यह कारण इस आधार पर बताया गया है कि इन दो मामलों, गृह कार्यालय के खर्च और सेवा शुल्क पर कटौती का दावा किया गया था, जो अधिकतम सीमा से अधिक था और इस प्रकार उक्त अतिरिक्त राशि मूल्यांकन से बच गई थी। उच्च न्यायालय की राय थी कि उन खर्चों के विवरण को फिर से खोलने के उद्देश्य से प्नर्मूल्यांकन का सहारा नहीं लिया जा सकता इस आधार पर कि वे वास्तव में खर्च नहीं किए गए थे या भारतीय शाखा के लिये उचित रूप से जिम्मेदार नहीं थे और कहा कि वह पहलू अब मूल्यांकन के लिए खुला नहीं था। साथ ही उच्च न्यायालय ने कहा कि यह निश्चित रूप से आयकर अधिकारी के लिए इस बात की जांच करने के लिए ख्ला है कि क्या इन दोनों मामलों पर खर्च भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्मत सीमा से अधिक था और इसका प्रभाव क्या होगा। इसमें कहा गया है कि यदि इस जांच के अन्सरण में पहले से ही स्वीकृत व्यय अधिक हो गए हैं और कानून के अनुसार आयकर अधिकारी की राय में इसकी अन्मति नहीं है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह इन दोनों मदों में इन खर्चों को कम कर सकते हैं। वह राशि जिसकी अनुमति पहले ही दी जा चुकी थी। न्यायालय ने कहा: "लेकिन उस मामले में निर्णय सामान्य रूप से खर्चों की अन्मति के ग्ण-दोष पर नहीं होगा, बल्कि पूरी तरह से अलग पहलू पर होगा और केवल इन दो पत्रों के संदर्भ में कानूनी रोक के एकमात्र आधार पर होगा ।". उच्च न्यायालय ने मामले में सावधानी बरती और यह कहते ह्ए सीमा लगा दी कि क्योंकि दो पत्रों के संदर्भ में फिर से खोलने की अन्मति देने का मतलब जांच को असीमित तरीके से विस्तारित करना नहीं है ताकि इसे अन्य आधारों पर गुण-दोष के आधार पर अपनाया जा सके। उच्च न्यायालय मूल्यांकन से संबंधित सभी तात्विक तथ्यों का पूरी तरह से और सही मायने में खुलासा करने में विफलता और इसके परिणामस्वरूप आय के मूल्यांकन और कर से पलायन के बारे में अपना अंतिम निर्णय दर्ज नहीं करना चाहता था। . इसमें कहा गया है कि क़ानून के तहत एक बिल्कुल अच्छा वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है जहां अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए सभी सवालों की विस्तार से जांच की जा सकती है। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि इन दोनों पत्रों के सटीक दायरे और परिधि का मामला आयकर अधिकारियों के समक्ष अपीलीय चरण में निर्णय का इंतजार कर रहा था और इस मामले को देखते हुए उसने किसी भी राय को व्यक्त करना उचित नहीं समझा इन दो पत्रों के दायरे के बाबत,

इससे या तो अपीलकर्ता या राजस्व पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसिलए, उच्च न्यायालय ने माना िक जहां तक इनमें दो पत्रों के आधार पर आयकर अधिकारी द्वारा की जा रही जांच को रद्द करने और पहले से छूट देने की मांग की गई थी, रिट याचिकाएं खारिज कर दी जाएंगी और यह आय के लिए खुला होगा। आय-कर अधिकारी को यह जांच करनी होगी िक क्या कटौतियाँ स्वीकृत की गई थीं और जो इन दोनों पत्रों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक थीं, वे कानूनी थीं या नहीं।

अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री साल्वे ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं में शामिल मुद्दे को गलत तरीके से संबोधित किया है दो पत्रों के प्रभाव की व्याख्या के प्रश्न पर। उन्होंने कहा कि यह था उच्च न्यायालय दवारा आयकर अधिकारी पर निर्णय छोड़ना सही नहीं है और यह कि उच्च न्यायालय की ओर से उसके क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में विफलता हुई जो स्पष्ट रूप से उसके पास था। श्री साल्वे ने भी इस न्यायालय के कुछ निर्णयों का भी उल्लेख किया जब आयकर अधिकारी अधिनियम की धारा 147 के तहत क्षेत्राधिकार मान सकता है । हम हालाँकि, सोचते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है हमारे लिए उन निर्णयों में से किसी को संदर्भित करना आवश्यक है क्योंकि विषय पर कानून अच्छी तरह से तय किया गया है, श्रू होता है कलकत्ता डिस्काउंट कंपनी लिमिटेड बनाम आय-कर अधिकारी, कंपनी जिला-1. कलकत्ता और अन्य , (1961) 41

आईटीआर 191। वर्तमान मामले में हम जो पाते हैं वह यह है कि यद्यपि श्रू किए गए प्रत्येक मूल्यांकन के लिए कार्यवाही आयकर अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 147 (ए) के तहत था, लेकिन उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न की आगे जांच किए बिना इसे अधिनियम की धारा 147 (बी) के तहत एक माना कि क्या उस आधार पर अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस सीमा की अवधि के भीतर होंगे। एक बार फिर, हमें नहीं लगता कि हमें इस क्षेत्र में गहराई से जाने की आवश्यकता है क्योंकि हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करने में गलती की है, जबिक इस विषय पर सभी तथ्य और कानून स्पष्ट थे। संविधान के अन्च्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए और पूर्ण मंजूरी देने के बाद रिट याचिकाओं पर विचार करने के बाद इस मामले की जांच की गई। निर्धारण वर्ष 1967-68 से 1969-70 के लिए और आंशिक रूप से निर्धारण वर्ष 1971-72 से 1973-74 के लिए राहत उच्च न्यायालय ने अपने हाथों में रोक लगाने और दोनों पत्रों के प्रभाव के प्रश्न का निर्णय करने के लिए मामले को आयकर अधिकारी पर छोड़ने में उचित नहीं था। उच्च न्यायालय को इस बात की जांच करनी थी कि क्या आयकर अधिकारी के पास अधिनियम की धारा 147 के प्रावधानों को सही ढंग से लागू करने का अधिकार क्षेत्र है, जिसमें इन दो पत्रों ने उन्हें प्नर्मूल्यांकन कार्यवाही श्रू करने के लिए सामग्री प्रदान की थी और क्या ये जानकारी का गठन करते हैं। उसे यह विश्वास

करने का कारण देने के लिए कि कर के लिए कर योग्य आय मूल्यांकन से बच गई थी। हम ऊपर देख चुके हैं कि ये दोनों पत्र विदेशी म्द्रा विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी किए गए हैं और भारत के बाहर विदेशी मुद्रा के प्रेषण से संबंधित हैं। इन पत्रों के किसी भी उल्लंघन पर 1973 के अधिनियम की धारा 56 और 1947 के अधिनियम की धारा 23 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में देश के विदेशी मुद्रा संसाधनों के संरक्षण और देश के आर्थिक विकास के हित में उनके उचित उपयोग के लिए और उस उद्देश्य के लिए क्छ भ्गतानों, विदेशी म्द्रा और प्रतिभूतियों में लेनदेन, अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी म्द्रा को प्रभावित करने वाले लेनदेन आदि के विनियमन के लिए कड़े प्रावधान हैं। इस संबंध में 1973 के अधिनियम की प्रस्तावना या 1947 के अधिनियम का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। अपीलार्थी दवारा विदेश में भेजे जाने वाले विदेशी धन के आधार पर इन दोनों पत्रों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का आयकर अधिनियम के तहत अस्वीकृति की राशि से कोई लेना-देना नहीं है। जैसा कि 6 नवंबर, 1974 के पत्र में पहले ही देखा जा चुका है कि निर्यात आय की 80 प्रतिशत की क्ल सीमा के भीतर प्रेषण की अन्मति दी गई है।

अपीलार्थी की भारत शाखा की सभी मामलों में पुनर्भुक्ति। इस पत्र के जारी होने से पहले ही 1971-1972 से 1973-74 वर्षों के लिए मूल्यांकन पूरे हो चुके थे। यदि 1 जनवरी, 1969 से निर्धारित सीमा से अधिक विदेशी मुद्रा का कोई प्रेषण किया गया है, तो रिजर्व बैंक या केंद्र सरकार को कार्रवाई करने या अन्मति देने का अधिकार विदेशी म्द्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के तहत प्रदान किया जाएगा। हालांकि, यह आय-कर अधिकारी के लिए अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने का आधार नहीं हो सकता है अधिनियम की धारा 147 (ए) या 147 (बी) के तहत प्नर्मूल्यांकन कार्यवाही वह आधार जो उसके कब्जे में "सूचना के परिणामस्वरूप" होगा इन दो पत्रों के रूप में ।। इसके संबंध में जो भी राशि देय हो भारतीय शाखा दवारा अपने प्रधान कार्यालय विदेश में मुख्य गृह कार्यालय खर्च या सेवा श्ल्क के रूप में ,आय-कर अधिनियम के तहत आय-कर अधिकारियों द्वारा अन्मति के अन्सार , प्रेषण की अन्मति केवल विदेशी अधिनियम के प्रावधानों के तहत दी जा सकती है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा । विनिमय विनियमन अधिनियम। दोनों अधिनियम - आयकर अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम-विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं।

हम यह भी देख सकते हैं कि जब अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस दिए जाते जारी किए गए थे, इनमें यह निर्दिष्ट नहीं किया गया था कि क्या कार्रवाई पर विचार किया जा रहा था अधिनियम की धारा 147 के खंड (ए) या खंड (बी) के तहत। नोटिस में मात्र कहा गया है "यह मानने के कारण थे कि निर्धारिती की आय जिसके संबंध में यह मूल्यांकन वर्षों के लिए आंकलन/कर योग्य थी, मूल्यांकन से बच गई थी" अधिनियम की धारा 147 के अर्थ में। कांतमणि वेंकट नारायण एंड संस बनाम प्रथम अतिरिक्त आयकर अधिकारी, (1967) 63 आईटीआर 638 में इस अदालत के फैसले को ध्यान में रखते हुए, यह न तो आवश्यक है और न ही अनिवार्य है कि अधिनियम की धारा 147 के तहत एक नोटिस में यह निर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि इनमें से किस धारा के तहत दो खंड (ए) या (बी) इसे जारी किया गया है।

मामले के इस दृष्टिकोण में दोनों पत्र पूरी तरह से अप्रासंगिक थे और इसे आयकर अधिकारी के लिए पुनःमूल्यांकन प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक सूचना के रूप में नहीं माना जा सका । इसलिए हमारा मानना है कि आय-कर कार्यालय द्वारा अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने के लिए अधिकार क्षेत्र की अंतर्निहित कमी थी इस आधार पर कि अपीलार्थी की कोई आय अधिनियम की धारा 147 के खंड (ए) या खंड (बी) के तहत मूल्यांकन से बच गई । अधिनियम की धारा 148 के तहत सभी नोटिसों को रद्द कर दिया जाता है।

दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 18 दिसंबर, 1984 के विवादित निर्णय को रद्द किया जाता है और लागत सहित अपील की अनुमति दी जाती है।

अपीलों को अनुमति दी।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक चित्रा भदौरिया द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।